19

निग/निगा/रीवा/2017/भू-रा0/2931

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

(म0 प्र0)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 30/-

(1) शिवदास प्रसाद साकेत तनय गौरी प्रसाद साकेत उम्र 60 वर्ष निवासी बेलहई थाना मनगवा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0 प्र0) -------निगरानी कर्ता

आवेदक शिवदास प्रमाणित द्वारा पेश। 29-8-17

बनाम0

(1) रामभुवन पाण्डेय तनय भगवानदीन पाण्डेय निवासी ग्राम सुकुलगवा थाना मनगवा चौकी मनिकवार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म० प्र०

(2) प्रमोद कुमार पाण्डेय तनय रामभुवन पाण्डेय उम्र 42 वर्ष

(3) हीरालाल पिता अवधशरण शुक्ला ग्राम नर्रहा तहसील थाना गुढ जिला रीवा (म0 प्र0) ------ गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0 प्र0) के प्रकरण क्रमांक 75/अ-12/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 24-8-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0।

संक्षिप्त विवरण :-

(अ) यह कि भूमि खसरा क्रमांक 480/2 रकबा 0.061 हैक्टयर यानि 0.15 डि0 स्थित ग्राम बेलहई तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को गैर निगरानी कर्ता क्रमांक 2 प्रमोद कुमार ने गैर निगरानी कर्ता - क्रमांक 03 से

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक- तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./17/2931

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक शिवदास साकेत उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 75/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24-08-17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमो के साथ आवेदक द्वारा धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 3 हीरालाल द्वारा राजस्व निरीक्षक के यहां आपत्ति की और माननीय न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 जिला रीवा के यहां विवादित भूमि 480/2 के साथ अन्य बटांक न0 सहित आवेदक शिवदास को पक्षकार बनाकर चिर स्थायी निषेधाज्ञा के छायाप्रति माननीय न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 जिला रीवा में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण सीमांकन की कार्यवाही व कब्जा दखल की कार्यवाही उनके द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं था	

इसलिए उनके द्वारा प्रकरण विचाराधीन होने की स्थिति में समाप्त किया गया है जो उनका आदेश दिनांक 24-08-17 उचित प्रतीत होता है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 75/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24-08-17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य